कार्यालय प्राचार्य,शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय छुरा, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

ई–मेलः– govtcollegechhura@gmail.com वेबसाईटः– www.gkdcollege.ac.in

फैक्स नम्बरः– 07701–299415 दूरभाष नम्बरः– 07701–299415

पत्र क्र.428/अति.व्या./2025 छुरा,दिनांक 14/11/2025

// अतिथि व्याख्याता द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का आदेश क्रमांक 289/01/आउशि/राज. स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025 के आदेशानुसार **अतिथि व्याख्याता नीति 2024** के अन्तर्गत महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल पद के विरूद्ध निम्नानुसार अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षक सहायक/ग्रंथपाल/ग्रंथपाल सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिपालन में किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति 2024, आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाईट www.gkdcollege.ac.in से किया जा सकता है।

–० रिक्त पदों का विवरण ०–

क्रमांक	संकाय	विषय	प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	विज्ञान	रसायनशास्त्र	–	01

टीपः– संबंधित विषय में नियुक्ति/नियमित पदस्थापना/स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तेः–

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल,/पी–एच. डी./अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. **दिनांक 21/11/2025** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये आवेदन को ही मान्य किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है।
3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन **दिनांक 22/11/2025** को महाविद्यालय सूचना पट्ट एवं वेबसाईट के माध्यम से किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की **तिथि 24/11/2025** तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन **दिनांक 24/11/2025** को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

प्राचार्य
शास. कचना धुरवा महाविद्यालय छुरा,
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय छुरा
जिला गरियाबंद (छ.ग.)